राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2025/47

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना-पत्र	30/25 30/25	20/2/25 20/2/25		10/3/25 17/3/25 24/3/25

अनवान

श्री सत्यनारायण उर्फ सतुकुमार / बरहसी श्री हीरा पुत्र रामा

निवासी चडौदा निवासी चडौदा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री P.D. पेंकोरा
धाकड़

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकाम

Crim I

नियम 26

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, भीलवाड़ा

सत्तुकुमार बनाम दौलत

नम्बर मुकदमा 111-128 प्रकरण संख्या 30 सन् 2025

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-2-2025	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 10/3/2025 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	तामील प्राप्त
10/3/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17/3/25 उ. आदेश पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
17/3/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 24/3/25 उ. आदेश पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षी को 3 बार आवाज लगाई गए, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 30/25 तारीख 20/2/25

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 30 / 2025 पत्थरगढ़ी बाबत्।

सत्यनारायण उर्फ सतुकुमार पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

01. छीतर पुत्र रामा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. केसरीमल पुत्र रामा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. कैलाश चन्द्र पुत्र प्यारा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. बालू पुत्र कजोड जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. पप्पुकुमार पुत्र हीरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
06. दुर्गेश कुमार पुत्र गोपाललाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
07. किशनी पत्नि घीसा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां खुर्द, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **ग्राम थडोदा पटवार हल्का थडोदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 497 पर अंकित आराजी संख्या 184/3 रकबा 0.3642 हैक्टैयर भूमि एवं खाता संख्या 348 पर अंकित आराजी संख्या 186/3 रकबा 0.1781 हैक्टैयर, आराजी संख्या 188/3 रकबा 0.0324 हैक्टैयर, आराजी संख्या 195/3 रकाबा 0.1942 हैक्टैयर कुल किता 03 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 30/25 तारीख 20/2/25

सत्यनारायण उर्फ सतुकुमार पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

01. छीतर पुत्र रामा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. केसरीमल पुत्र रामा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. कैलाश चन्द्र पुत्र प्यारा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. बालू पुत्र कजोड जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. पप्पुकुमार पुत्र हीरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
06. दुर्गेश कुमार पुत्र गोपाललाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
07. किशनी पत्नि घीसा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां खुर्द, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांक: 24/3/25

प्रार्थना पत्र **सत्यनारायण उर्फ सतुकुमार पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री पिंकेश धाकड द्वारा** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **ग्राम थडोदा पटवार हल्का थडोदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 497 पर अंकित आराजी संख्या 184/3 रकबा 0.3642 हैक्टैयर भूमि एवं खाता संख्या 348 पर अंकित आराजी संख्या 186/3 रकबा 0.1781 हैक्टैयर, आराजी संख्या 188/3 रकबा 0.0324 हैक्टैयर, आराजी संख्या 195/3 रकाबा 0.1942 हैक्टैयर कुल किता 03 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम थडोदा पटवार हल्का थडोदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 497 पर अंकित आराजी संख्या 184/3 रकबा 0.3642 हैक्टैयर भूमि एवं खाता संख्या 348 पर अंकित आराजी संख्या 186/3 रकबा 0.1781 हैक्टैयर, आराजी संख्या 188/3 रकबा 0.0324 हैक्टैयर, आराजी संख्या 195/3 रकाबा 0.1942 हैक्टैयर कुल किता 03 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ